बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06 विविध–12 / 2020 2002 खाद्य, पटना / दिनांक–08|05|2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को कोविड–19 के मद्देनजर राशन कार्ड, खाद्यान्न एवं कोरोना सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी से निपटने हेतु राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता राशि (1000 रूपये) के भुगतान हेतु आधार संग्रहण की जा रही है। साथ ही, विभाग द्वारा राशन कार्ड निर्गमन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आवंटित मुफ्त खाद्यान्न को PoS यंत्र के माध्यम से वितरण का कार्य भी वृहत स्तर पर लाभुकों को राहत देने हेतु किया जा रहा है। उक्त परिस्थिति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा चलाये जा रहे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस हेतु सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्नवत उल्लेखित की जा रही है :–

(1) **कोरोना सहायता राशि का भुगतान (DBT Payment)**– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आच्छादित बिहार में कुल 1.68 करोड़ राशन कार्डधारियों के विरूद्ध अद्यतन 1.23 करोड़ राशन कार्डधारियों के बैंक खाते में 1000 / – रूपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। ज्ञातव्य है कि प्रथम चरण में उपलब्ध कराये गये 1.53 करोड़ राशन कार्डधारियों में से 51 लाख राशन कार्डधारियों के भुगतान के क्रम में उनका बैंक खाता आधार संख्या से लिंक नहीं रहने एवं उनके नाम में भिन्नता के कारण राशि नहीं भेजी जा सकी। उक्त डाटाबेस का विवरण जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा 41.93 लाख कार्डधारियों का त्रुटि निराकरण करने के पश्चात् उक्त कार्डधारियों का विवरणी एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि उन राशन कार्डधारियों के बैंक खाते में 1000 / – रूपये की सहायता राशि भेजी जा सके।

उल्लेखनीय हे कि वर्तमान में लगभग 09 लाख राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता राशि अब सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जानी है। इस हेतु सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में लक्ष्य के विरूद्ध शेष लाभुकों का बैंक खाता एवं IFSC Code संग्रहित करते हुए सहयोग पोर्टल (आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार) पर अविलंब अपलोड करा लिया जाय (link https//:164.100.251.11। साथ ही, पुनः भेजे गये 41.93 लाख (कोरोना सहायता राशि हेतु DBT के प्रथम प्रयास में असफल कार्डधारी परिवार) आधार में से भी लगभग 50 प्रतिशत

राशन कार्डधारी परिवारों को दूसरे प्रयास में सभी कोरोना सहायता राशि नहीं दी जा सकी है उन सभी कार्डधारी परिवारों का MIS विवरण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के Login पर उपलब्ध है । अतः सभी राशन कार्डधारी परिवारों का बैंक एकाउंट एवं IFSC कोड अविलंब संग्रहित करते हुए सहयोग पोर्टल (आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार) पर अविलंब अपलोड करते हुए पूरी प्रक्रिया 09.05. 2020 तक समाप्त करा लिया जाय।

(2) **राशन कार्ड का निर्गमण–** RTPS Portal के माध्यम से कुल अब तक 11.51 लाख पूर्व से अस्वीकृत आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से अब तक कुल 10.21 लाख आवेदकों के आधार संख्या की इन्ट्री की गयी है। (link http://210.212.23.54/food) आर0टी0पी0एस0 पर प्राप्त अभ्यावेदन की पुर्नसमीक्षा के पश्चात् पाये जाने वाले पात्र लाभुकों का राशन कार्ड जेनरेट कर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। राशन कार्ड जेनरेशन हेतु दिनांक 06.05.2020 से ही सर्वर पूर्ण रूप से तैयार है अतः लक्ष्य के अनुरूप राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु 15.05.2020 तक की समय–सीमा निर्धारित है। इस संबंध में V.C के माध्यम से भी निदेशित किया जा चुका है।

इसी प्रकार जीविका के द्वारा अबतक कुल 22.45 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 12.97 लाख जीविका से सम्बद्ध है एवं 9.48 लाख अन्य छूटे हुये परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से अबतक कुल 19.98 लाख आवेदनों को सहयोग पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर दिया गया है। (link https//:164.100.251.11)। साथ ही, नगर निकाय क्षेत्रों में NULM द्वारा अब तक कुल 38 जिलों में 4.09 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है जिसमें से अबतक कुल 4.06 लाख परिवारो का सहयोग पोर्टल पर डाटा इन्ट्री का कार्य किया गया है। (link https//:164.100.251.11)sahyogportal)।

राशन कार्ड निर्गमन की कार्रवाई तीन चरण में पूरी की जानी है। प्रथम चरण में आर0टी0पी0एस0 अंतर्गत स्वीकृत आवेदन तत्पश्चात द्वितीय चरण में जीविका द्वारा सर्वेक्षित परिवार एवं शहरी आजीविका मिशन द्वारा सर्वेक्षित परिवारों को कार्ड निर्गत किया जाना है, एवं अंतिम चरण में गैर जीविका एवं गैर शहरी आजीविका मिशन परिवारों को कार्ड निर्गत किया जाना है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण का कार्य क्रमशः 15.05.2020, 30.05.2020 एवं 10.06.2020 तक पूर्ण किया जाना है। गैर जीविका एवं गैर शहरी आजीविका मिशन परिवारों का प्रपत्र 'क' एवं 'ख' युद्ध स्तर पर भरे जाने हेत ग्रामीण क्षेत्र में जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण अन्तर्गत पंचायत स्तर पर टीम गठित करें तथा इसी प्रकार शहरी निकाय क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी वार्ड स्तर पर टीम गठित कर यह कार्य सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी सभी संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण अपने नेतृत्व में सुनिश्चित करेंगे।

(3) **राशन कार्ड को आधार से जोड़ना –** 14.69 लाख राशन कार्डधारी ऐसे है जिनका न तो आधार संख्या और न हीं बैंक खाता संख्या राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। उक्त राशन कार्डधारियों का आधार एवं बैंक डिटेल जोड़ने का कार्य जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा e-PDS Portal पर किया जा रहा है। एन0आई0सी0 के द्वारा बनाये गये पब्लिक पोर्टल (http://epds.bihar.gov.in) पर भी राशन कार्डधारी स्वयं अपना आधार अपने राशन कार्ड से जोड़ रहे है एवं उनका ई–पॉश मशीन के माध्यम से Beneficiary Verification किया जा रहा है। वैसे राशन कार्ड, जो मृतप्राय हों या राशन कार्ड को आधार से जोड़ने हेतु बार–बार सूचना दिये जाने के बावजूद अपना आधार संख्या नहीं दे रहे हों तो उन्हें अपात्र मानते हुए उनके राशन कार्ड को विहित प्रक्रियानुसार रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(4) **<u>वृद्ध लाभुकों को खाद्यान्न वितरण–</u>** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित वैसे वृद्ध पात्र लाभुक जिन्हें Biometric Authentication में समस्या के कारण खाद्यान्न वितरण किया जाना संभव नहीं हो रहा है। उनके राशन कार्ड संख्या एवं आधार संख्या सहित जन वितरण प्रणाली दुकानवार सूची तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जाय एवं उन लाभुकों को खाद्यान्न वितरण माह के प्रथम तीन दिनों में कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) **<u>निगरानी एवं सतर्कता समिति द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण–</u>** जिला स्तर पर गठित निगरानी/सतर्कता समिति एवं अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित दिवस को आहूत की जाय एवं उक्त बैठक की कार्यवाही को संधारित करते हुए अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर पर दिये गये लिंक का उपयोग कर से नियमित रूप से उपर्युक्त कार्यो की दैनिक प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करते हुए उपर्युक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।
07/05/2020

ज्ञापांक प्र06 विविध–12/2020 2002 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/05/2020

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
07/05/2020

ज्ञापांक प्र06 विविध–12/2020 2002 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/05/2020

प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
07/05/2020